

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 6615/008-4/प्र.अ./मॉनि./ज.गु.अ.स./लो.स्वा.यां.वि./म.प्र./12 भोपाल, दि. 11/06/2012

परिपत्र

वर्षा ऋतु में दूषित जल और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अतः पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पेयजल के प्रत्येक स्रोत को दूषित होने से बचाने का यथासंभव प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष मानसून के पूर्व निम्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाए :-

(अ) ग्रामीण जल प्रदाय क्षेत्र :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप के आसपास गंदगी, कीचड़ आदि जमा न हो एवं पर्याप्त साफ-सफाई बनी रहे, इस कार्य में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाए। हैंडपंप के प्लेटफार्म पर कपड़े धोने, बर्तन साफ करने तथा गंदगी करने के कार्य ग्रामवासियों द्वारा नहीं किए जाएं।
2. जिन स्थानों पर हैंडपंपों के प्लेटफार्म एवं निकास नाली या तो निर्मित नहीं है या टूटी हैं अथवा ग्राउंटिंग ठीक तरह से नहीं की गई है, वहां हैंडपंप के आस-पास की गंदगी, मिट्टी से रिसकर भू-जल को प्रदूषित करती है, अतः ऐसे हैंडपंपों के आस-पास आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराया जाए। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के हैंडपंपों के सुधार हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सभी सुधार योग्य बंद हैंडपंप तत्काल ठीक कराएँ जिससे ग्रामवासी दूषित पेयजल स्रोतों का उपयोग करने को विवश नहीं हों।
3. जिलों के जन प्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ग्रामीण जनता को यह परामर्श दिया जाए कि योजनाओं के निर्मित शुद्ध पेयजल स्रोतों के पानी का ही पीने एवं भोजन बनाने के लिये उपयोग करें। यदि खुले कुँए के पानी का पीने के लिये उपयोग किया जाता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर आदि डालकर डिसइन्फेक्शन कराया जाए या उसे छानकर स्वच्छ पात्र में भरने के बाद क्लोरीन टेबलेट डालकर/उबालकर ही उपयोग में लाया जाए। साथ ही ग्रामवासी खेतों में काम करने के लिये जाते समय नलकूप अथवा स्वच्छ कुओं का पानी साथ ले जाए एवं स्वच्छ जल का ही उपयोग करें।
4. यह सुझाव दिया जाए कि वे निजी एवं सार्वजनिक कुँओं एवं झिरियों के आस-पास भी स्वच्छता बनाये रखें एवं उनमें भी ब्लीचिंग पाउडर नियमित रूप से डलवाने की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।
5. चूंकि रोगों की रोकथाम में पानी की गुणवत्ता के साथ-साथ स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है, अतः ग्रामवासियों को स्वच्छ शौचालयों के उपयोग, कूड़े-कचरे व गोबर के समुचित निष्पादन तथा सभी स्तरों पर जैसे वातावरणीय, घरेलू, भोजन संबंधी एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
6. ग्रामीण नल-जल योजनाओं की, छोटी टंकियों की, एवं ओवरहेड टैंक की सामयिक सफाई, उसमें उचित मात्रा व गुणवत्ता के ब्लीचिंग पाउडर से जीवाणुनाशन व वितरण प्रणाली के समुचित रख-रखाव पर ध्यान देने तथा रेसीड्यूएल क्लोरीन की न्यूनतम 0.2 पी.पी.एम. मात्रा अंतिम छोर पर सुनिश्चित की जाए। इस ऋतु में ब्लीचिंग पाउडर की समुचित मात्रा उचित रूप से पंचायतों द्वारा भंडारित की जाए। इस बिन्दु पर कार्यवाही हेतु स्थानीय पंचायतों को अवगत कराएँ एवं जिला प्रशासन के माध्यम से उपयुक्त निर्देश जारी करवाएँ।

7. जिन क्षेत्रों में दूषित पानी से हाने वाली बीमारियों की आशंका/सूचना हो या पूर्वोदाहरण हों उस पूर्व में बाढ़ आई हो, वहां के पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच प्राथमिकता के आधार पर करारकर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी करें तथा पुनः ऐसी स्थिति निर्मित होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(ब) नगरीय क्षेत्र :-

विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के साथ सतत संपर्क में रहें तथा दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों की स्थिति/आशंका में तत्काल पेयजल गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु परीक्षण, उपचार आदि में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन इन्हें उपलब्ध कराएं। इन सभी के समन्वय से कार्य करें।

विभाग द्वारा संधारित की जा रही योजनाओं में विशेष सतर्कता रखें। की गयी कार्यवाही से इस विभाग को, कलेक्टर व संभागायुक्त को भी अवगत कराएँ जिससे यथा-आवश्यकता जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया जा सकें। दूषित पेयजल के कारण किसी भी प्रकार की घटना की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल वहां पहुंचें एवं आवश्यक कार्यवाही जैसे जल नमूने लेकर उनकी जांच, घटना के कारणों की जांच, प्रदूषण के कारणों की जांच एवं प्रशासन के समन्वय से उन कारणों को तत्काल बंद कराने की कार्यवाही, स्रोतों का जीवाणुनाशन आदि की तत्काल कार्यवाही कराई जाए एवं प्रशासन को तथा विभाग को तत्काल पूर्ण विवरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी सहित प्रतिवेदन भेजा जाए।

( एन. के. सेहरा )

प्रमुख अभियंता

पृ.क. 6615 / 006-4 / प्र.अ. / भौ.नि. / ज.गु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / 12 भोपाल दि. 11 / 06 / 2012

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर एवं संचालक राज्य सहायता संगठन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं निरन्तर अनुश्रवण हेतु अग्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल/परियोजना मण्डल.....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. समस्त कलेक्टर, जिला.....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड/परियोजना खंड/संचारण खंड/.....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता